

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सौजन्य अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

दिनांक - 25/12/2019

श्री फजलुद्दीन वल्द इब्राहीम पठान गुराहमान निवासी- लुहारिया तहसील

- प्रार्थी

बनाम

श्री जिलानी वल्द कमरुद्दीन पठान गुराहमान निवासी- लुहारिया तहसील
(सर्वसम्पत्ति प्रपत्र संख्या)

- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 28/5/19

आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया, पटवार हलका लुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2344, 2348, 2363/2430, 3525/902 कुल कित. 04 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 2-4-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहारिया, पटवार हलका लुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2344, 2348, 2363/2430, 3525/902 कुल कित. 04 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके से कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा